



रिपोर्ट
की

1. पत्रावली चेरा हुई वकील पक्षकार
अनुपस्थित पत्रावली वास्ते जवाब प्रा. फर
अन्तिम अवसर दिनांक 10-3-2021 को पेश हो।

[Signature]

2021। पत्रावली चेरा हुई रुक-रुक कर
तीन-चार आवान दिवसों में न तो
आवश्यक उपस्थित है और न ही
पक्षकारान वक्रण से संबंधित वाद खारिज
ले चुका है जब वाद ही खारिज ले
गया है तो इस शर्चना-फर का कोई
मोचित नहीं रह जाता।

अतः पत्रावली अदम हजरी अदम
पत्रावली में खारिज भी जाती है पत्रावली
फरसल शुमार लेकर नम्बर से काम
की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10-3-2021 को सरे
इजलास सुनाया गया।

[Signature]

उप खण्ड अधिकारी
मंगरोल जिला बार्डों (राज०)